संख्या-15/2018/544 ई-2/तेरह-2018-46/2017टी0सी0

प्रेषक,

राम बहादुर सिंह,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 20 फरवरी,2018

विषय:- ई-लाटरी प्रणाली के माध्यम से व्यवस्थित की जाने वाली दुकानों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रोसेसिंग फीस, जी0एस0टी0 की धनराशि एवं धरोहर धनराशि को केन्द्रीयकृत बैंक खाते में जमा कराये जाने हेतु राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-631/आठ-सांख्यिकी/ई-लाटरी/2017-18, दिनांक 19 फरवरी,2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके पत्र दिनांक 17 फरवरी,2018 के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव के दृष्टिगत प्रदेश के राजस्वहित में ई-लाटरी प्रणाली के माध्यम से व्यवस्थित की जाने वाली दुकानों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रोसेसिंग फीस, जी0एस0टी0 की धनराशि एवं धरोहर धनराशि को केन्द्रीयकृत बैंक खाते में जमा कराये जाने हेतु पंजाब नेशनल बैंक में एक केन्द्रीयकृत खाता खोलने हेतु कतिपय शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहमति प्रदान की गई है।

3- आपके उपरोक्त पत्र दिनांक 19 फरवरी,2018 में प्राप्त प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त शासनादेश दिनांक 19 फरवरी,2018 में उल्लिखित ''बचत खाता'' के स्थान पर जिला आबकारी अधिकारी, लखनऊ के नाम से खोले गये ''चालू खाता'' को केन्द्रीयकृत खाते के रूप में संचालित करने तथा उसका संचालन जिला आबकारी अधिकारी, लखनऊ के साथ-साथ उप आबकारी आयुक्त (लाइसेंसिंग) एवं वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, आबकारी मुख्यालय द्वारा संयुक्त रूप से किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि शासनादेश दिनांक 19 फरवरी,2018 की अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।''

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- यह आदेश वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के अशासकीय संख्या-एफ0ए0-1-35/दस-2018, दिनांक 20 फरवरी,2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

5- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राम बहादुर सिंह)

विशेष सचिव।

संख्या-15/2018/544(1)ई-2/तेरह-2018-46/2017टी0सी0, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

(1) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) वित्त(लेखा) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वेद प्रकाश राय)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।